न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

वाद संख्या – 54/2016

अनवान

1. नन्द लाल पिता मौजी लाल उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मौतीपुरा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान
2. जमना बाई पुत्री मौजी लाल उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मौतीपुरा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान
3. बसंती बाई पुत्री मौजी लाल उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मौतीपुरा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान
4. सोहन बाई पुत्री मौजी लाल उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मौतीपुरा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान
5. शिव लाल पिता नानूराम उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मौतीपुरा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान
6. चतुर्भत पिता नानूराम उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी मौतीपुरा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा, राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरियें भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान ।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0एक्ट एवं धारा 88 रा0टी0एक्ट

उपस्थित – श्री लाल चन्द प्रजापत प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 05.05.2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी हक एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम रूपपुरा. प.ह. खातीखेड़ा/एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होकर सवत् 2052–55 की जमाबन्दी की खाता संख्या 74 की खसरा संख्या 19मी. रकबा 1.08 हैक्टे. दर्ज रिकार्ड होकर उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान से वादी मोजीलाल व वादी शिवलाल, चतुरभुज के पिता नानुराम ने दिनांक 13.06.1984 को खरीद की है तभी से उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर वादी मोजीलाल व नानुराम और दिनांक 09.01.2014 को नानुराम की मृत्यु के बाद वादी शिवलाल व चतरभुज काबीज होकर काश्त कर रहे है तथा वादी क्र. सं. 2 व 03 की माता व नानुराम की पत्नि का देहान्त नानुराम की मृत्यु से पूर्व हो गयी है तथा आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण बिना किसी रूकावट के काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान भू प्रबंधन अधिकारियो द्वारा पेमाईश की जिसमें भू प्रबंधन अधिकारियो द्वारा उक्त वादीगणो की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात को नापने के दौरान कोई डुन्ढी नही पिटवाई ना वादीया को कोई सूचना करवाई, इस प्रकार भू प्रबंधन अधिकारियो द्वारा बिना सूचना कराए वादीया के संख्या 74 की खसरा संख्या 19 मी रकबा 1.08 हैक्टे आराजी को बिलानाम दर्ज रिकार्ड कर दिया जिसका नया नम्बर 274, 281, 437 है, जिसमें वादीगणो का कब्जा स्थित है, जिसमें से वादीगणो की खाते की कम हुई आराजी को पूरा किया जा सकता है जबकि उक्त आराजी पर खरीद दिनांक से वादीगण काबीज होकर काश्त कर रहे है तथा कब्जे काश्त आराजी है, जिससे उक्त आराजी दुरूस्त कर पूर्वानुसार खाते दर्ज रिकार्ड की जाना न्यायोचित है तथा नानुराम के स्थान पर वादी शिवलाल व चतरभुज पिता नानुराम का हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड नामान्तरण किये जाने की घोषणा की जाना न्यायोचित है। वाद पत्र राजस्थान सरकार के विरुद्ध पेश करने से पूर्व धारा 80 जा.दी का सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है. किन्तु उक्त कब्जे काश्त आराजी पर कुछ व्यक्तियो द्वारा अवैध कब्जा करने की नियत से अवैध धमकियां दे रहे है और कभी भी वादीया की आराजी पर अवैध कब्जा कर सकते है. इस कारण वाद अर्जेट नेचर का होने से बिना देरी के अर्जेट नेचर में पेश करना पड़ रहा है, इस कारण धारा 80

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

ज़ा.दी. के तहत नोटिस की बाध्यता को समाप्त करने के लिए धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन इस प्रकार किया है कि (क) वादीगण जमाबन्दी संवत् 2052–55 की खाता संख्या 74 की खसरा संख्या 19मी. रकबा 1.08 हैक्टे. को नवीन बिलानाम दर्ज रिकार्ड खसरा संख्या 274, 281, 437 से पूर्ति करते हुए आराजी को पूर्वानुसार दुरूस्त कर उक्त आराजी खाते में वादी मोजीलाल व नानुराम के वारिसान वादी शिवलाल व चतरभुज के नाम दर्ज रिकार्ड कर खातेदारी की घोषणा कर उसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जाए। (ख) प्रतिवादी को जरिये शास्वत आदेश पाबंद फरमाया जाए कि दौराने वाद वादीया के खातेदारी व कब्जे काश्त हक की आराजी पर वादीया के कब्जे में स्वयं या अपने अधीनस्थों से हस्तक्षेप ना करे ना करावे। (ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगणों के पक्ष में हो और वाद निर्णय में सहायक हो दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी पक्ष को तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 29.01.2018 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बिन्दु संख्या 01 स्वीकार है। बिन्दु संख्या अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी जो भूमि पर दावा लाया है आराजी संख्या 274 का गत आराजी संख्या 19 मी. 281 कर मिलान खसरा नही लगाया और खसरा संख्या 437 गत मी. 23 से बना है दावा खारीज योग्य है। बिन्दु संख्या 03 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा नई जमाबंदी की नकल संलग्न नही की है। बिन्दु संख्या 04 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा पेश दावा मे गत नम्बरान 23 मे से भूमि चाहता है जबकि उसके मी. 19 भूमि दर्ज रिकार्ड थी हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना उचित होगी।

न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 को पुनः पेरोकार सरकार द्वारा अपूर्ण जवाब पेश होने से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत विस्तृत बिन्दूवार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। इस दौरान दिनांक 20.06.2022 को अधिवक्ता वादी ने वादी संख्या 01 के वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर वादी संख्या 01 मोजीलाल के फौत होने के कारण कायम मुकाम बनाने का निवेदन किया गया। मृतक के वारिसान को वाद में वादी के रूप में संयोजित करने में प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की गई। अतः वादी संख्या 01 के वारिसान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का दिनांक 20.06.2022 को स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.09.2023 को संशोधित टाईटल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 14.05.2024 से विस्तृत बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की गई। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार साबिक आराजी संख्या 19 मी. रकबा 1.08हे0 ग्राम रूपपुरा प0ह0 एकलिंगपुरा भू.अ.नि. बडौदिया सम्वत् 2056–59 में श्री लालू, मोजी, नानूराम पिता ताराचन्द धाकड़ सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजी (19 मी.) का खाता नहीं बना एवं वर्तमान आराजी संख्या 274 रकबा 0.60है0, साबिक आराजी 19 मी., आराजी संख्या 281 रकबा 0.95है0, साबिक आराजी 19 मी. एवं आराजी संख्या 437 रकबा 2.07है0, साबिक आराजी 23 मी. से बना है। मिलान क्षेत्रफल की प्रति सलंग्न है। उक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा कब्जे का दावा किया है जो प्रार्थी को स्वयं साबित करना होगा एवं शेष प्रार्थी स्वयं साबित करें। बिन्दु संख्या 3,4 मूल वाद से गायब है। बिन्दु संख्या 5 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी स्वयं का है। बिन्दू संख्या 6, 7, 8 कानूनी व न्यायालय से संबंधित है।

न्यायालय द्वारा वाद पत्र में बिन्दुवार तनकियात कायम की गई। वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य में वादीगण संख्या 01, 5, 6 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत शपथ पत्र के ताहिद में बयान गवाह दिए तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजो की प्रदर्श कराए।

अधिवक्ता वादी द्वारा इसी दौरान दिनांक 18.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 06 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पत्र दुरूस्ती एवं घोषणात्मक प्रस्तुत किया है जिसमें अन्तर्गत धारा 88 एवं 136 रा.ले.रे. एक्ट के स्थान पर 188 एवं 136 रा.ले.रे. एक्ट टंकण व भूलवश अंकित हो गया है जिसे संशोधित किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 एवं 136 रा. ले.रे. एक्ट का आदेश प्रदान कर संशोधित टाईटल प्रस्तुत करे का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। जिसके विपरित पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 03. 06.2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

हमने वाद पत्र पर वकील वादी के विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि ग्राम रूपपुरा.प. ह. खातीखेड़ा/एकलिंगपुरा, तह रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होकर सवत् 2052–55 की जमाबन्दी की खाता संख्या 74 की खसरा संख्या 19मी. रकबा 1.08 हैक्टे. दर्ज रिकार्ड होकर उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान से वादी मोजीलाल व वादी शिवलाल, चतुरभुज के पिता नानुराम ने दिनांक 13.06.1984 को खरीद की है तभी से उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर वादी मोजीलाल व नानुराम और दिनांक 09.01.2014 को नानुराम की मृत्यु के बाद वादी शिवलाल व चतरभुज काबीज होकर काश्त कर रहे है। अतः वादीगण जमाबन्दी सवत 2052–55 की खाता संख्या 74 की खसरा संख्या 19मी. रकबा 1.08 हैक्टे. को नवीन बिलानाम दर्ज रिकार्ड खसरा संख्या 274, 281, 437 से पूर्ति करते हुए आराजी को पुर्वाअनुसार दुरूस्त कर उक्त आराजी खाते में वादी मोजीलाल व नानुराम के वारिसान वादी शिवलाल व चतरभुज के नाम दर्ज रिकार्ड कर खातेदारी की घोषणा कर उसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकर कर निवेदन किया कि नवीन भू–प्रबंध रिकार्ड अनुसार सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजी (19 मी.) का खाता नहीं बना एवं वर्तमान आराजी संख्या 274 रकबा 0.60है0, साबिक आराजी 19 मी., आराजी संख्या 281 रकबा 0.95है0, साबिक आराजी 19 मी. एवं आराजी संख्या 437 रकबा 2.07है0, साबिक आराजी 23 मी. से बना है। (मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सलंग्न है)। अप्रार्थी द्वारा पेश दावा मे गत नम्बरान 23 मे से भूमि चाहता है जबकि उसके मी. 19 भूमि दर्ज रिकार्ड थी इस आधार पर वादी का वाद पत्र खारीज योग्य होने से खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं वादी पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर प्रकरण में कायम वाद बिन्दू निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

तनकी नंबर –1

आया वादी वाद पत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम रूपपुरा.प. ह. खातीखेड़ा/ एकलिंगपुरा, तह रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होकर सवत् 2052–55 की जमाबन्दी की खाता संख्या 74 की खसरा संख्या 19मी. रकबा 1.08 हैक्टे. दर्ज रिकार्ड होकर उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड वैचान से वादी मोजीलाल व वादी शिवलाल, चतुरभुज के पिता नानुराम ने दिनांक 13.06.1984 को खरीद की है तभी से उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर वादी मोजीलाल व नानुराम और दिनांक 09.01.2014 को नानुराम की मृत्यु के बाद वादी शिवलाल व चतरभुज काबीज होकर काश्त कर रहे है तथा वादी क्र. सं. 2 व 03 की माता व नानुराम की पत्नि का देहान्त नानुराम की मृत्यु से पुर्व हो गयी है तथा आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण बिना किसी रूकावट के काश्त कर रहे है तथा दौराने वाद वादी मौजीलाल की मृत्यु होने से उनके वारिसान मौके पर कदिमी समय से काश्त कर रहे है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा वाद पत्र की ताहिद मे साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये तथा स्वयं न्यायालय मे हो बयान गवाह दिए तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजों को प्रदर्श कराए। वादीगण संख्या 1 ,5 ,6 द्वारा बयान में

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

निवेदन किया है कि ग्राम रूपपुरा प0ह0 खातीखेडा की जमाबंदी सम्वत 2052–55 की खाता संख्या 74 आराजी संख्या 19 मी. रकबा 1.08है0 जो कि वादीगण के पिता नानूराम व मोजीलाल द्वारा जरिए रजिस्टर्ड दिनांक 13.06.1984 को खरीद की है जिसकी रजिस्ट्री प्रदर्श–1है, खाते की जमाबंदी सम्वत् 2056–59 जो प्रदर्श–2 है, जमाबंदी सम्वत् 2064–64 जो बिलानाम सरकार दर्ज है जिस पर वादीगण का कब्जा है प्रदर्श–3 है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4है। सेटलमेंट की पुर्व की जमाबंदी प्रदर्श–5 है किन्तु वादीगण द्वारा कब्जे काश्त (सेटलमेंट के पश्चात धारा–91 का नोटिस, पी–14 इत्यादि) करने संबंधित किसी प्रकार के कोई साक्ष्य पेश नहीं किए है जिससे वादीगण का कब्जा साबित हो सकें, जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –2

आया वादीगण के हक व कब्जे काश्त विवादित आराजीयात नवीन सेटलमेंट के पूर्व से कब्जे काश्त चली आ रही होने से सेटलमेंट के बाद कब्जे काश्त आराजीयात के नवीन खसरा संख्या 274, 281, 437 बिलानाम दर्ज होने से वादीगणों के कम हुई आराजीयात को उक्त बिलानाम खसरा नम्बरों से पूर्ति कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में बयान के दौरान ग्राम रूपपुरा प0ह0 खातीखेडा की जमाबंदी सम्वत 2052–55 की खाता संख्या 74 आराजी संख्या 19 मी. रकबा 1.08है0 जो कि वादीगण के पिता नानूराम व मोजीलाल द्वारा जरिए रजिस्टर्ड दिनांक 13.06.1984 को खरीद की है जिसकी रजिस्ट्री प्रदर्श–1है, खाते की जमाबंदी सम्वत् 2056–59 जो प्रदर्श–2 है, जमाबंदी सम्वत् 2064–64 जो बिलानाम सरकार दर्ज है जिस पर वादीगण का कब्जा है प्रदर्श–3 है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4है। सेटलमेंट की पूर्व की जमाबंदी प्रदर्श–5 है किन्तु तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थी का गत आराजी संख्या 19 मी. से बना हुआ है किन्तु प्रार्थी द्वारा वर्तमान आराजी संख्या 437 जो गत आराजी संख्या 23 मी. से बना है (मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सलंग्न है) को खातेदारी की घोषणा/कम हुई आराजीयात की पूर्ति करने का निवेदन किया है तथा गत आराजी संख्या 19 मी. से मिलान क्षेत्रफल अनुसार कई खसरे बने हुए है वादीगण द्वारा चाही गई खातेदारी घोषणा संबंधित आराजी संख्या 274, 281 का स्पष्ट अंकन भी नहीं है कि वादीगण के गत आराजी से ही उक्त आराजीयात बने है तथा वादीगण का कुल रकबा व आराजी संख्या 274, 281 का रकबा भी मिलान नहीं हो रहा है। वादीगण अपने पुराने व नये नम्बरान, रकबा का मिलान क्षेत्रफल अनुसार मिलान कराने में असफल रहे। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी साबित करा पाने में असफल रहने से बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –3

आया वाद पत्र में वर्णित आराजीयात दुरूस्त नही होने से वादीगणों को वास्तविक क्षति हो रही है तथा कठिनाइयों का सामना करना सम्भव है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजों के अभाव में उक्त तनकी को साबित कराने में असफल रहा है, अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी साबित करा पाने में असफल रहने से बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –4

आया वाद पत्र में वर्णित आराजीयात सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबंधन अधिकारियों द्वारा की गई त्रृटि को दुरूस्त कर पुर्वानुसार खाते दर्ज किया जाना न्यायोचित है

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजों के अभाव में तथा गत व नये आराजीयात व रकबा का मिलान क्षेत्रफल अनुसार मिलान

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

कराने में असफल रहे, अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी साबित करा पाने में असफल रहने से बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अनुतोष –

पत्रावली में शामिल दस्तावेजों व वकील वादीगण के बहस के दौरान की दलीलों का मनन किया गया। वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में कथन प्रस्तुत करते हुए ग्राम रूपपुरा, पटवार हल्का खातीखेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2052–55 की खाता संख्या 74, आराजी संख्या 19 मी., रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि को अपने पिता नानूराम एवं मोजीलाल द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1984 से क्रय किया जाना बताया गया तथा उक्त संबंध में रजिस्ट्री प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2056–59 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत् 2064–64 प्रदर्श–3 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 प्रस्तुत किए गए। वादीगण द्वारा यह भी कथित किया गया कि सेटलमेंट पूर्व की जमाबंदी प्रदर्श–5 के अनुसार उक्त भूमि पर उनका कब्जा है, किन्तु तहसीलदार प्रतिवेदन से यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि प्रार्थी की गत आराजी संख्या 19 मी. से अन्य खसरे निर्मित हुए हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा वर्तमान आराजी संख्या 437, जो कि गत आराजी संख्या 23 मी. से निर्मित होना पाया गया है, के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं कम हुई आराजीयात की पूर्ति का निवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा जिन आराजीयात संख्या 274 एवं 281 के संबंध में खातेदारी घोषणा चाही गई है, उनके संबंध में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका कि उक्त आराजीयात वादियों की मूल गत आराजी संख्या 19 मी. से ही निर्मित हुई हैं। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल एवं अभिलेखीय साक्ष्यों में भी वादीगण के पुराने एवं नवीन खसरा नम्बर तथा रकबे का स्पष्ट सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। साथ ही वादीगण के कुल रकबे एवं दावा की गई आराजीयात के रकबे में भी असंगति पाई गई। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त एवं स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण अपने दावे को विधिसम्मत रूप से सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

वादी अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में असफल रहने से वादी ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का खातीखेडा की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खसरा संख्या 274, 281, 437 कुल किता 03 भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी व दुरूस्ती किये जाने के अधिकारी नहीं पाए जाते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में आवश्यक तथ्य एवं साक्ष्य पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं पाया गया व वाद पोषणीय नहीं है तथा वादी अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

–:आदेश:–

अतः समस्त अभिलेखों, साक्ष्यों एवं उपलब्ध प्रतिवेदनों के सम्यक् परीक्षण उपरांत वादीगण का वाद अन्तर्ग धारा–88 आर.टी.ए. व धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट के अंतर्गत कोई राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं से वादी का वाद उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हों।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
जिला चितौडगढ़ (राज.)